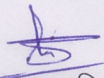


परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत भूमि रौन-4बी , जिसका क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  




परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत भूमि थडुंग-07 , जिसका क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

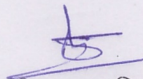
  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  




परियोजना का नाम — जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है०) के बदले दुगुनी अवनत भूमि करडा-1A, जिसका क्षेत्रफल 05.00 है० का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  




परियोजना का नाम — जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है०) के बदले दुगुनी अवनत भूमि धामकोटी जिसका क्षेत्रफल 05.00 है० का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभन्गीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  




परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है०) के बदले दुगुनी अवनत भूमि बैनोल-15 जिसका क्षेत्रफल 3.00 है० का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  




परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत भूमि बैनोल-16 जिसका क्षेत्रफल 7.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभामीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  




परियोजना का नाम — जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल वनभूमि (24.317 है०) के बदले दुगुनी अवनत भूमि बैनोल-2 जिसका क्षेत्रफल 10.00 है० का निरीक्षण किया गया तथा वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभाम्नीय वनाधिकारी,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला  
